



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28022022-233778
CG-DL-E-28022022-233778

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 872]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 28, 2022/फाल्गुन 9, 1943

No. 872]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 28, 2022/PHALGUNA 9, 1943

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(वित्तीय बाजार प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2022

का.आ. 902(अ).—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें) नियमावली, 1992 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 4 की उप-धारा 1(अ) और उप-धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद् द्वारा श्रीमती माधवी पुरी बुच, पूर्व पूर्णकालिक सदस्य, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, की भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के अध्यक्ष पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इसमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करती है।

[फा. सं. 2/16/2019-आरई]

आनंद मोहन बजाज, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)****(Financial Market Division)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th February, 2022

S.O. 902(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1)(a) and sub-section (4) of section 4 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), read with rule 3 of the Securities and Exchange Board of India (Terms and Conditions of Service of Chairman and Members) Rules, 1992, the Central Government hereby appoints Smt. Madhabi Puri Buch, Former Whole Time Member, Securities and Exchange Board of India as Chairman of the Securities and Exchange Board of India (SEBI), initially for a period of three years from the date of assumption of charge of the post, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 2/16/2019-RE]

ANAND MOHAN BAJAJ, Addl. Secy.